

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञापि**

**दिनाँक 20.01.2025\***

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

\*थाना दुधारा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

पीआरवी 3303 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3303 को इवेंट सं0 49477 से थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सोना होटल से कालर द्वारा अनियंत्रित बाईक फिसल जाने के कारण 02 व्यक्तियों ( 01 आनंद यादव पुत्र राधेश्याम, 02- अमन यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासीगण बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु जिलाअस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

**पीआरवी स्टाफ-** आ0 विजय प्रताप यादव, हो0चा0 संतराम ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 1,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 20.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 1,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल \*श्री केशवनाथ\* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त सिनोद पुत्र स्व0 गजई चौधरी निवासी छपिया दोगम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को सोनौरा मोड़ सांडेकला से 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ नियमानुसार दिनांक 20.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 23/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

\*गिरफ्तार अभियुक्त-\* सिनोद पुत्र स्व0 गजई चौधरी निवासी छपिया दोगम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

\*बरामदगी-\* 650 ग्राम अवैध गांजा ।

\*पंजीकृत अभियोग-\* मु0अ0सं0 23/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-\* उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, हे0का0 हरिप्रसाद शर्मा, का0 राजेश कुमार ।

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 20.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

**\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल \*श्री केशवनाथ\* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष \*श्री लाल बिहारी निषाद\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/2025 धारा 115(2),105 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1. शक्तिमान पुत्र स्व0 हरिराम 2.बलिराम उर्फ नान्हू पुत्र स्व0 हरिराम निवासीगण सूपा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.01.2025 को बंजरिया चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 19.01.2025 को विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके उपरान्त थाना बखिरा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । वादिनी के ननदोई रामसुमेर गौतम का ईलाज के दौरान दिनांक 19.01.2025 को सदर अस्पताल में मृत्यु हो गयी । प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 20.01.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-\* व0उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 मनोज यादव ,हे0का0 अजय सिंह, का0 बालगोविन्द गोंड, का0 लवकेश यादव ।